न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/08/2026	2026/15	23.01.2026	20.04.2026

1. केसर पुत्री प्रभाती पत्नी भिक्कीराम जाति जाट निवासी ग्राम बडका तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत खेडी जर्ये ग्राम पंचायत खेडी तहसील रामगढ जिला अलवर।
2. प्रभू पुत्री प्रभाती जाति जाट निवासी मस्ताबाद तहसील रामगढ जिला अलवर।
3. बत्तन पत्नी सोनपाल पुत्री प्रभाती जाति जाट निवासी खेडली विरान तह0 लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

—:: प्रार्थना—पत्र मुंतकिल ::—

उपस्थितिः—

01— श्री मूलचन्द चौधरी —वकील प्रार्थीग

02— श्री आसमोहम्मद, भूपेन्द्र यादव — वकील अप्रार्थीगण

—:निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ में लंबित/विचाराधीन प्रकरण बउनवान केसर वगैरह बनाम पंचायत खेडी व अन्य प्रकरण सं. 05/2/2022 को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ से बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस अपने समर्थन में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत खेडी द्वारा प्रभाती का विरासत नामांतकरण संख्या 227 वाके ग्राम मस्ताबाद तन्हा रूप से अप्रार्थी संख्या 2 के नाम साजबाज तरीके से स्वीकार किया गया है। जबकि मृतक प्रभाती से अप्रार्थी संख्या 2 के अलावा तीन पुत्री मिन प्रार्थीया व किस्तूरी तथा बत्तन है जिनके नाम प्रभाती का नामांतकरण स्वीकार नही किया गया है जबकि मिन प्रार्थीया व किस्तूरी तथा बत्तन भी विधिक वारिसान पुत्री है। उक्त नामांतकरण की जानकारी होने पर मिन प्रार्थीया की ओर से अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ के समक्ष उपरोक्त अनुवानी अपील बअनुवानी केसर वगैरा अपीलान्ट बनाम ग्राम पंचायत खेडी वगैरा रेस्पाडेन्टान विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत दिनांक 21.05.1986 ग्राम मस्ताबाद नामांतकरण संख्या 227 मुकदमा नम्बर 05/2/2022 प्रस्तुत की गई है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 18/02/2026 नियत है।

उक्त प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.03.2022 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को पाबंद फरमाया गया है। उक्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 की तामील हो चुकी है लेकिन उसके द्वारा जवाब पेश नही किया गया और तामील के पश्चात से ही उक्त प्रकरण में जवाब हेतु आगामी तारीख पेशी नियत की जा रही है जो भी काफी लम्बी लम्बी नियत की जा रही है। तथा अदालत श्रीमान को रोशन होगा कि उक्त प्रकरण में गत तारीख 11.07.2025 की नितय थी उसके पश्चात आगामी तारीख पेशी दिनांक 31.07.2025 और दिनांक 31.07.2025 से आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.08.2025 तथा 29.08.2025 से सीधे ही 17.10.2025 एवं 17.10.2025 से 04.11.2025 एवं 04.11.2025 से 08.01.2026 एवं 08.01.2026 से आगामी तारीख पेशी 18.02.2026 की नियत की गई है। जो कि लगातार जवाब हेतु नियत की जा रही है किन्तु आज तक जवाब पेश नहीं किया है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

अप्रार्थी सं. 2 प्रभावशाली व्यक्ति है जिसने पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में लिया हुआ है तथा पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी सं. 2 से साजबाज होकर निष्पक्ष कार्यवाही नही कर रहे है और अप्रार्थी संख्या 2 के कहे अनुसार लम्बी लम्बी तारीख पेशी नियत कर आगामी कार्यवाही नही कर रहे है। जबकि इतने लम्बे समय तक अवसर पर अवसर प्रदान करने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं होने की स्थिति में जवाब का अवसर बंद कर आगामी कार्यवाही करनी चाहिए थी। जो कि ऑर्डरशीट से स्पष्ट है। मिन प्रार्थीया ग्रामीण महिला है और हर तारीख पेशी पर अपने ग्राम बडका तहसील लक्ष्मणगढ से रामगढ आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पडता है तथा आनावश्यक हर पेशी पर खर्चा वहन करना पड रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 ने एलानिया तोर पर धमकी दी है कि पीठासीन अधिकारी उनके मिलने वाले तथा उनसे बातचीत कर ली है और समस्त कार्यवाही उसके अनुसार ही होगी। पीठासीन अधिकारी महोदय ने अपनी राय स्पष्ट कर दी है कि उन पर अप्रार्थी संख्या 2 का उन पर दवाब है। जिससे प्रार्थी को यह अंदेशा हो गया है कि पीठासीन अधिकारी महोदय प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित करेगें कि जिस स्थति में यह मुन्तकिली प्रार्थना–पत्र पेश किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ में विचाराधीन अपील बाबत इंतकाल संख्या 227 दिनांक 21.05.86 वाके ग्राम मस्ताबाद बअनुवानी केसर वगैरा अपीलान्टान बनाम ग्राम पंचायत खेडी वगैरा रेस्पाडेन्टान मुकदमा नम्बर 5/2/2022 आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.02.2026 को किसी दीगर अदालत में मुन्तकिल किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे। आपकी अति कृपा होगी।

अप्रार्थीगण अधिवक्तागण ने बहस के दौराने निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाए गए सभी आरोप झूठे और निराधार है। प्रार्थीगण मामले को लटकाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने झूठे आरोप लगाकर खुद लाभ लेने का प्रयास किया है। आवेदन "झूठे व गलत तथ्यों" के साथ दाखिल है, इसलिए खारिज किया जाना चाहिए। वर्तमान प्रार्थना पत्र सिर्फ मुकदमे को लंबा करने और अदालत पर दबाव बनाने का प्रयास है। अतः निवेदन किया है कि "प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र झूठे, बेबुनियाद, अस्पष्ट और भ्रामक तथ्यों पर आधारित है, इसे खारिज किया जाए।"

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मुन्तकिल के संबंध में बिन्दुवार टिप्पणी प्रस्तुत की गई, जिसमें कथन किया गया है कि पैरा सं. 01 से 3 स्वीकार है। पैरा सं. 4 आंशिक स्वीकार है। जवाब हेतु समय दिया गया। दिनांक 07.01.2025 को रेस्पोडेण्ट सं. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सियाराम गुर्जर की ओर से अंडरटेकिंग दी गई तथा दिनांक 24.04.2025 को वकालतनामा पेश किया गया एवं पत्रावली पर अपीलाण्ट की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 03 जा0दी0 पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है एवं रेस्पोडेण्ट के जवाब में पत्रावली विचाराधीन है। बिन्दु सं. 5 अस्वीकार है, मिथ्या है। बिन्दु सं. 6 अपील में अंकित खसरा नंबर वाके ग्राम मस्ताबाद में होने के कारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। बिन्दु सं. 7 अस्वीकार है, मिथ्या है। किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। बिन्दु सं. 8 ला0 10 गौर श्रीमान है। यदि श्रीमान उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल के आदेश फरमावे तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

पत्रावली का भली–भांति अवलोकन किया एवं उभय पक्षों के तर्कों तथा अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री एवं दोनों पक्षों के तर्कों के मनन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण ने मुंतकिली का मुख्य आधार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लम्बी पेशी की तारीखें देना एवं विपक्षी का दबाव होना बताया है। केवल किसी न्यायालय द्वारा जवाब के लिए अवसर प्रदान करना या मुकदमों की अधिकता या

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

न्यायालयीन व्यस्तता के कारण लम्बी पेशी की तारीखें नियत करना पीठासीन अधिकारी के पक्षपातपूर्ण रवैये या किसी के प्रभाव में होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी से यह भी स्पष्ट है कि स्वयं प्रार्थीगण की ओर से आदेश 22 नियम 03 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिस पर विधिक प्रक्रिया के तहत कार्यवाही होना शेष है। प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर मिलीभगत और दबाव के जो आरोप लगाए गए हैं, वे पूर्णतः मौखिक, अस्पष्ट और बिना किसी ठोस साक्ष्य के हैं। न्यायिक अधिकारियों पर इस प्रकार के निराधार और कपोल–कल्पित आरोप लगाकर मुकदमों को स्थानांतरित करवाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे अधीनस्थ न्यायपालिका के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रार्थीगण के मन में उत्पन्न आशंका युक्तिसंगत नहीं मानी जा सकती।

अतः समग्र परिस्थितियों और पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना–पत्र में कोई सार प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय की निष्पक्षता पर संदेह का कोई ठोस आधार प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं। ऐसे आवेदन का उद्देश्य मुकदमे की कार्यवाही में विलम्ब करना प्रतीत होता है। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना–पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये हैं और ना ही प्रार्थना–पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये हैं। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल बिना पर्याप्त कारण, तथ्य व सबूत/साक्ष्य के अभाव में सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण में बिना किसी दवाब या पूर्वाग्रह के, गुण–दोष के आधार पर विधि सम्मत कार्यवाही जारी रखें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान